न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

सत्यमेव जयते
WebCopy Official

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : भाबरू, कैम्प दिनांक 16.05.2017

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 46/2017 **दायर तारीख :–** 16.05.2017

मिश्री देवी पत्नी बनवारीलाल दायमा जाती खटीक निवासी भाबरू, तहसील विराटनगर **—— प्रार्थीया**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
2. चिरंजीलाल पुत्र गोपीराम
3. नत्थू राम पुत्र दीना
4. लीला राम } पुत्र गोपी
5. भगवान सहाय }
6. लाली देवी पत्नी पूरण मल
7. राकेश }
8. गोविन्द } पुत्रान पूरण मल
9. ममराज }
10. कान्ता }
11. कृपा }
12. मनिषा } पुत्रियां पूरण मल
13. दया }
14. श्री सालासर पोलीफ्लेक्स प्रा॰लि॰ जरिए निदेशक रोहित कुमार शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा हाल निवासी ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर
15. सुरज्ञानी }
16. सुभाष } पुत्रान ग्यारसीलाल
17. बालासहाय }
18. लीला देवी पत्नी मोहनलाल
19. जितेन्द्र } पुत्रान मोहनलाल
20. सांवरमल }
21. बिरदी चन्द } पुत्रान भगावना
22. लीलाराम }
23. सुरेश मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा निवासी मकान नम्बर 266 स्कीम नम्बर 08 गांधीनगर, अलवर **—— अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्थायी सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 16.05.2018

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2718/0.18, 2719/0.44 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं की जानकारी होते हुए भी आये दिन प्रार्थीया को परेशान करने की गरज से गलत तरीके से प्रार्थीया की भूमि को दबाने का प्रयास करते रहते है। प्रार्थीया ने परेशान होकर तहसीलदार के सक्षम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2012/1832 दिनांक 28.05.2012 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा दिनांक 16.06.2018 को सीमाज्ञान मौके पर करवा लिया है, अप्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान को मानने से साफ इन्कार कर दिया है। इसलिए प्रार्थीया अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहती है। अतः निवेदन है कि ग्राम भाबरू में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2718/0.18, 2719/0.44 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 16.06.2012 तथा नकल जमाबन्दी खाता संख्या 64, 283, 305, 330 संवत् 2072–2075 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाबरू में पेश हुई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 तथा 14 व्यक्तिशः उपस्थित हुए तथा प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी किये जाने में सहमति प्रकट करते हुए न्यायालय आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए, जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
5. उपस्थित पक्षकारान, विद्वान अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को मजमा–ए–आम सुना गया तथा उपस्थित आमजन से प्रकरण की जानकारी की गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2718/0.18, 2719/0.44 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

नाम दर्ज रिकार्ड है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीया की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीया की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीया ने दिनांक 16.06.2012 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है तथा कैम्प कोर्ट में उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर सहमति प्रकट करते हुए न्यायालय आदेशिका में सहमति स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

7. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2718/0.18, 2719/0.44 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट भाबरू दिनांक 16.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर